राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

सं. एफ/02/07/2020/एस.1/29 दिनांक 08.04.2020

स्पष्टीकरण

जबकि, दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) संतुष्ट है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कोविड–19 महामारी के संक्रमण के कारण चिंतित है जिसे विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा पहले ही वैश्विक महामारी घोषित किया जा चुका है और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में इस संक्रमण को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाने पर विचार किया गया है।

और जबकि, भारत सरकार ने ''कोविड–19'' की महामारी को रोकने के लिए 25 मार्च, 2020 से 14 अप्रैल, 2020 तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सहित पूरे भारत में लॉकडाउन किए जाने के लिए अधिसूचना जारी की है।

और जबकि, दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा परिस्थिति से निबटने के लिए समस्त अपेक्षित उपाय अपनाने कि लिए सर्वसंबंधित प्राधिकारियों को समय–समय पर विभिन्न आदेश/निदेश दिए जा रहे हैं।

और जबकि, केन्द्रीय गृह सचिव, भारत सरकार ने दिनांक 06.04.2020 के पत्र के द्वारा लॉकडाउन उपायों पर समेकित दिशा–निर्देशों को दोहराया है, जिनका भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों, राज्य/संघ शासित क्षेत्रों की सरकारें तथा राज्य/संघ शासित क्षेत्रों के प्राधिकरणों देश में कोविड–19 महामारी के संक्रमण को रोकने के लिए अनुपालन करना है, जैसा गृह मंत्रालय द्वारा अपने दिनांक 24.03.2020 के पत्र में तथा उसके बाद दिनांक 25.03.2020, 27.03.2020, 02.04.2020 और 03.04.2020 के पत्रों में अधिसूचनाएं जारी की गई हैं. समेकित दिशा–निर्देशों को दोहराते हुए, इस बात पर बल दिया जाता है कि कोविड–19 की महामारी के परिप्रेक्ष में देश में मेडीकल ऑक्सीजन पर पर्याप्त आपूर्ति को बनाए रखने की अत्यधिक आवश्यकता है और मेडीकल ऑक्सीजन को राष्ट्रीय सूची के साथ–साथ विश्य स्वास्थ्य संगठन की सूची में अनिवार्य दवाओं में शामिल किए जाने की भी आवश्यकता है. अतः, मेडीकल ऑक्सीजन की सुगम और निर्बाध आपूर्ति बनाए रखे जाने पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है।

और जबकि, गृह मंत्रालय के उपर्युक्त आदेशों के अनुपालन में, मुख्य सचिव, दिल्ली द्वारा पहले से छूट प्राप्त श्रेणियों में विशिष्ट सेवाओं की छूट के संबंध में दिनांक 04.04.2020 को एक स्पष्टीकरण जारी किया गया है।

और जबकि, उपर्युक्त दिशानिर्देशों के द्वारा, चिकित्सा उपकरणों का निर्माण करने वाली इकाइयां, उनका कच्चा माल और इंटरमीडिएड, उनकी पैकिंग सामग्री की विनिर्माण इकाइयां, अनुवार्य वस्तुओं तथा चिकित्सा आपूर्ति वाली मदों के परिवहन की अनिमति दी गई है. साथ ही छूट प्राप्त मदों की सप्लाई चेन की सुगम गतिविधियों के लिए विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए गए हैं, जिसमें कर्मचारियों की अंतर–राज्यीय मूवमेंट भी शामिल है।

अतः, अब, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अनुच्छेद 22 के तहत निहित शक्तियों के क्रम में राज्य कार्यकारी समिति राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, के अध्यक्ष के रूप में, अधोहस्ताक्षरी द्वारा निदेश दोहराए जाते हैं और यह स्पष्ट किया जाता है कि लॉकडाउन उपायों पर समेकित दिशानिर्देशों के विभिन्न खंडों के तहत छूट में निम्नलिखित को शामिल किया जाता है :

i. मेडीकल ऑक्सीजन गैसध्द्रय, मेडीकल ऑक्सीजन सिलेंडर, लिक्विड ऑक्सीजन के लिए क्रायोजेनिक टैंक, लिक्विड क्रायोजेनिक सिलेंडर, लिक्विड ऑक्सीजन, क्रायोजेनिक ट्रांसपोर्ट टैंक, एंबिएंट वेपोराइजर और क्रायोजेनिक वाल्व, सिलेंडर वाल्व एवं एसेसरीज।

ii. उपर्युक्त मदों का परिवहन।

iii. उपर्युक्त मदों का सड़क सीमा के द्वारा आवाजाही।

iv.. उपर्युक्त उल्लिखित विनिर्माण इकाइयों के कामगारों और उनके परिवहन की अनुमति दी जानी चाहिए/उन्हें अपने घरों से फैक्टरियों तक जाने तथा वापसी के लिए पास दिए जाने चाहिए ताकि फैक्टरियों को उनकी पूर्ण स्थापित क्षमता के अनुरूप चले जाना सुनिश्चित हो सके।

इसके अलावा, जैसा लॉकडाउन उपायों में विनिर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रत्येक गतिविधि में सोशल डिस्टेंसिंग और स्वास्थ्य संबंधी उचित प्रक्रियाएं सुनिश्चित की जानी चाहिए. यह संगठन/संस्थान के प्रमुख की जिम्मेदारी होगी कि इन नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाता हो. जिला प्राधिकरण इनका कड़ाई से अनुपालन किए जाना सुनिश्चित करेंगे।

(विजय देव)
मुख्य सचिव, दिल्ली

प्रतिलिपि कड़े अनुपालनार्थ हेतुः

1. सभी जिलाधिकारी, दिल्ली
2. सभी जिला पुलिस उपायुक्त, दिल्ली

प्रतिलिपि सूचनार्थ :

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ :–

1. प्रधान सचिव, उपराज्यपाल, दिल्ली।
2. अपर सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, दिल्ली।
3. सचिव, माननीय उप–मुख्यमंत्री/वित्त मंत्री, दिल्ली।
4. अपर मुख्य सचिव (गृह), दिल्ली।
5. आयुक्त पुलिस, दिल्ली।
6. प्रधान सचिव (राजस्व)–सह–मंडलीय आयुक्त, दिल्ली।
7. अध्यक्ष, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद्।
8. आयुक्त (उत्तर दिल्ली नगर निगम, पूर्व दिल्ली नगर निगम, दक्षिण दिल्ली नगर निगम)।
9. सचिव (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण), दिल्ली।

10. निदेशक, सूचना एवं प्रचार निदेशालय को व्यापक प्रचार हेतु।
11. एसआईओ, एनआईसी, दिल्ली सरकार की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।